

प्रेषक

निदेशक
मत्स्य विभाग
उ०प्र०, लखनऊ

सेवा में,

समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ०प्र०।
समस्त सहायक निदेशक मत्स्य, उ०प्र०।
आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

पत्रांक- 1459 / लेखा शा० / बजट / 2021-22

दिनांक 29-3-2022

विषय-अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक-2405- मछली पालन-के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 का बजट आवंटन
महोदय,

शासनादेश संख्या-11/221/571/सत्रह-म०-2021-6-9(6)/2018 टी सी दिनांक 15.04.2021 द्वारा स्वीकृत वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक-2405-मछलीपालन- के अन्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आवंटन एतद्वारा संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :-

1. आवंटित धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार से व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों एवं स्टोर पर्चेज नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उन मामलों में स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।
4. डी० डी०ओ०रिकान्सलेशन प्रत्येक माह की 6 तारीख तक निश्चित द्वारा रूप से मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाय।
5. जेम पोर्टल के माध्यम से कय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।
6. मानक मद 04 एवं 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाये जिससे पेट्रोल/यान्त्रा व्यय, बीजको का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।
7. वेतन मदों में आवंटित धनराशि से वेतन का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाय तथा वेतन एरियर के आहरण से पूर्व निदेशालय से अनुमति प्राप्त की ली जाय। यान्त्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, टेलीफोन, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल/डीजल आदि की कय की मदों में समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, तथा प्री-आडिट बीजकों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

(2)

8. जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समानरूप से की जाय

9. स्वीकृति धनराशि का आहरण/ व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश सं०-3/20210/बी-1-375/10-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2020 तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

10. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन - 01-निदेशन तथा प्रशासन, 03-अधिष्ठान, 109-विस्तार तथा प्रशिक्षण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता, 800-अन्य व्यय, 03-अनुसंधान सामान्य, 04-प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना, 05- राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन एवं 11-प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त आवंटन का अंकन बजट कन्ट्रोल रजिस्टर के पृष्ठ सं० 66,67,68,69,70,71 एवं 72 पर किया गया है।

संलग्नक- यथोपरि

भवदीया,

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-

1459

/लेखा शा०/बजट/2021-22 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक मत्स्य के कैम्प कार्यालय हेतु।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
5. निदेशक वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. श्री अंशुमान सिंह वरिष्ठ सहायक को अपलोड करने हेतु।



(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-28/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-03 ANUSANDHAN SAMANYA ALLOTMENT 28-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
800 - अन्य व्यय
03 - अनुसंधान -सामान्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		09-विद्युत देय	10-जलकर / जल प्रभार	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	29-अनुरक्षण	42-अन्य व्यय	योग
1	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , -01--	वर्तमान प्रगामी	0 33500	0 0	0 243000	10000 20000	30000 30000	40000 326500
2	झॉसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	0 30000	0 0	0 0	0 0	20000 20000	20000 50000
3	झॉसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --30-सहायक निदेशक मत्स्य	वर्तमान प्रगामी	0 0	0 0	0 0	0 0	14000 14000	14000 14000
4	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , -01--	वर्तमान प्रगामी	0 150000	0 10000	0 0	0 0	20000 30000	20000 190000
5	मिर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --30-सहायक निदेशक मत्स्य	वर्तमान प्रगामी	188000 188000	16000 16000	73000 73000	0 0	0 0	277000 277000
6	जवाहर भवन, लखनऊ-2381-अर्थ एवं संख्याधिकारी , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	0 0	0 0	0 0	0 0	376000 376000	376000 376000
	योग	वर्तमान प्रगामी	188000 401500	16000 26000	73000 316000	10000 20000	460000 470000	747000 1233500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात लाख सैंतालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बारह लाख तैंतीस हजार पाँच सौ


(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी